

भारत सरकार  
पोत परिवहन मंत्रालय  
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 136 जिसका उत्तर

सोमवार, 24 नवम्बर 2014/3 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया जाना है

सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. लिमिटेड और आई.डब्ल्यू.ए. का विलय

136. श्री रीताब्रता बनर्जी :

क्या. पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सी आई डब्ल्यू टी सी) हमारे देश के अन्तर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में एक मात्र सरकारी संचालक है;
- (ख) क्या सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. अपना परिचालनात्मक महत्व खो रहा है
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और
- (घ) क्या सरकार सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. लिमिटेड का आई.डब्ल्यू.ए. के साथ विलय करने का विचार रखती है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्यमंत्री  
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (ग) : सी आई डब्ल्यू टी सी एक लाभ न देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और अपने कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी के भुगतान हेतु पूर्णतः सरकार पर आश्रित है। जल परिवहन क्षेत्र में अंतर्निहित सीमाओं और अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण सी आई डब्ल्यू टी सी का प्रचालन व्यावहार्य नहीं बन सकता। वर्ष 1967 में इसके प्रारंभ से ही सी आई डब्ल्यू टी सी घाटे में जा रहा है और वर्तमान में एक गैर प्रचालनात्मक पी एस यू है।

अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो की ढुलाई काफी हद तक निजी क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है।

(घ) : सी आई डब्ल्यू टी सी का आई डब्ल्यू ए आई के साथ विलयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*